कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 292/कानपुर/34211/2018, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 06, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर।

विषय : कानपुर में उ0प्र0 जल निगम द्वारा विधूना कैनाल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन0एच0–86 के किनारे किमी0 20.800 से 61.900 तक पाइप लाईन डालने हेतु 14.385 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–375/14–1, दिनांक 31.07.2018

महोदय,

विषयक प्रस्ताव आपके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 02.08.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– ऑनलाइन पार्ट–1 की संशोधित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र पर परियोजना से प्रभावित वृक्षों व पौधों का कोई उल्लेख अंकित नहीं किया गया है तथा प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकृत अधिकारी के मूल हस्ताक्षर व दिनांक अंकित नहीं हैं। संशोधित प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

3– ऑनलाइन पार्ट–2 में बाधक 1258 वृक्षों का विवरण अपलोड है। पृष्ठ–30 पर अंकित सूचना के अनुसार 1428 ब्रिकगार्ड पौधों का विवरण ऑनलाइन अपलोड नहीं है।

4– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 स्केल के सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट पर चिन्हित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

5– प्रस्ताव के पृष्ठ–89 पर संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण की वचनबद्धता पर प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकृत अधिकारी के मूल हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

6– प्रस्ताव के पृष्ठ–90 पर संलग्न एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

7– प्रस्ताव के साथ NHAI तथा Rly की अनापत्ति संलग्न नहीं है। सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें।

8– प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्राधिकार–पत्र संलग्न नहीं हैं। संलग्न करने का कष्ट करें।

9– ऑनलाइन पार्ट–3 पर सक्षम अधिकारी मुख्य वन संरक्षक द्वारा संस्तुति अंकित कर हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है। संलग्न करने का कष्ट करें।

10– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–7 पर अंकित सूचना त्रुटिपूर्ण है। आरक्षित वनसीमा से दूरी अंकित कराने का कष्ट करें।

11– प्रस्ताव के पृष्ठ–99 पर संलग्न अभिलेख प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

12– उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर ऑनलाइन पार्ट–1, 2 व 3 की सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कराकर, प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या अपडेट कराकर, विषय–सूची को भी अपडेट कराने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

6/8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 292/, उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र अपने मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री धर्मेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबन्धक, (निर्माण इकाई), उ0प्र0 जल निगम, घाटमपुर कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचनायें/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6/8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Q